

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(298)एमई/ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक: 17/11/2017


आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.(175)एम.ई./ग्रुप-1/2017 दिनांक 17.10.2017 द्वारा नवनियुक्त निम्नलिखित वरिष्ठ प्रदर्शक माइक्रोबॉयोलोजी के अनुरोध पर इनके कार्यभार ग्रहणकाल में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 4 में उल्लेखित अवधि तक अभिवृद्धि की जाती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम/पदस्थापन स्थान	मेरिट क्रमांक	अभिवृद्धि की गई समयावधि
1.	2.	3.	4.
1.	डॉ० अमित सिंह रावल, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	18	दिनांक 12.12.2017 तक

डॉ० रावल के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 29.05.2018 (जो कि छः माह से अधिक की अवधि है) तक की अभिवृद्धि नहीं की जा सकती। क्योंकि प्रशासनिक विभाग अधिकतम 6 माह तक ही अभिवृद्धि हेतु प्राधिकृत है। अतः डॉ० रावल को निर्देशित किया जाता है कि अभिवृद्धि की गई समयावधि में पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर इस विभाग को सूचित करे।

आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
3. डॉ० अमित सिंह रावल पुत्र श्री यशपाल सिंह रावल, रावल हाऊस, 11-12 बी, ज्योजि नगर, एस.बी.बी.जे. ट्रेनिंग सेन्टर के सामने, जयपुर रोड़ बीकानेर(राज.)-334001 (रजिस्टर्ड डाक से)।
4. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव